संख्या:23/2023/918ई-2/तेरह-2023-1709586

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 23 मई, 2023

विषयः- मेसर्स मोदी इल्लवा इण्डिया प्रा.लि., मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में 12 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का माल्ट स्प्रिट उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-17/दो-प्रा.डी.-260/मोदी इल्लवा, दिनांक 27-04-2023 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 18-05-2023 में लिये गये निर्णय संबंधी कार्यवृत्त संख्या:909ई-2/तेरह-2023-1709586, दिनांक 19-05-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली 2019 तथा शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स मोदी इल्लवा इण्डिया प्रा.लि., मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद को 12 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर अधिष्ठापित क्षमता 42 लाख लीटर माल्ट स्प्रिट उत्पादन किये जाने हेतु पेय आसवनी स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं शासनदेश दिनांक 26-03-2021 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

(2) आसवनी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से नियमानुसार इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जायेगा।

(3) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) इकाई द्वारा आसवनी में मॉस-फ्लो मीटर तथा राडार बेस्ड लेबिल ट्रांसमीटर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(5) इकाई द्वारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
(8) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।